न्यायालय, समाहर्त्ता एवं जिला दंडाधिकारी, खगड़िया

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार– विविध आपूर्ति अपील वाद सं0–11/2014–15 मीरा देवी बनाम राज्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
10.10.2017	*आदेश* दिनांक 27.09.2012 की संध्या में असामाजिक तत्वों द्वारा आगजनी की घटना कारित किये जाने के फलस्वरूप जिला विधि शाखा में संधारित समाहर्त्ता न्यायालय का अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण संबंधित पक्षकारों से अभिलेख सृजन हेतु आम सूचना पत्रांक 126/विधि, दिनांक 6.11.12 प्रकाशित कराया गया। श्रीमती मीरा देवी पति–महेश प्रसाद केशरी, ग्राम–राटन, थाना–गोगरी, जिला–खगड़िया द्वारा उक्त के आलोक में काफी विलम्ब से दिनांक 11.02.2015 को अपील आवेदन दाखिल किया गया है। विलम्ब के संबंध में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने लिखित रूप से दिया है कि अपीलार्थी ग्रामीण महिला है जिसे पूर्व से नियुक्त अधिवक्ता मुकदमे की जानकारी लम्बी अवधि से नहीं दिया, तब अपीलांट 04.02.15 को कोर्ट आकर अपने पैरवी से मुकदमे की जानकारी लिया, तब पता चला कि आग लगने से अभिलेख जल गया है। इसलिए जानकारी की तिथि से अपीलार्थी समय सीमा के अन्दर पुर्नजीवित वास्ते दे रही है। उनके द्वारा विलम्ब हो माफ करते हुए पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी द्वारा दाखिल अपील में उल्लेख किया गया है कि वे अपने पति से वर्ष 1994 से ही अपने बच्चे के साथ अलग रह रही है। उन्हें पति द्वारा कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। उनका कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के ज्ञापांक 1184 दिनाक 13.08.08 द्वारा उनकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की अनुज्ञप्ति रद्द कर दिया गया है, जो विधि के तहत संधारण योग्य नहीं है। उनके द्वारा अपील को अंगीकृत करते हुए संबंधित अभिलेख की मांग कर अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। अपीलार्थी श्रीमति मीरा देवी द्वारा अपने पति से अलग रहने के सम्बन्ध में शपथ पत्र दिया गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया। अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, खगड़िया के ज्ञापांक 93बी/दिनांक 21.07.2008 जिला आपर्ति पदाधिकारी, खगड़िया के ज्ञापांक 484/आ0 दिनांक 28.07.2008 द्वारा सूचित किया गया कि दिनांक 16.05.2008 को सम्पन्न जिला कार्यक्रम	

कार्यान्वयन समिति, खगड़िया के बैठक की कार्यवाही की कंडिका 4.4 में श्री महेश प्रसाद केशरी ज0वि0प्र0 बिक्रेता राटन पंचायत प्रखंड गोगरी के पति–पत्नी दोनों के नाम से अलग–अलग ज0वि0प्र0वि0 की दूकान आवंटित किया गया है।

इस संबंध में जॉचोपरान्त प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोगरी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि गोगरी प्रखड के राटन पंचायत में ज0वि0प्र0वि0 श्री महेश प्रसाद केशरी अनुज्ञप्ति सं0 74 जी0/07एवं ज0वि0प्र0वि0 श्रीमति मीरा देवी अनुज्ञप्ति संख्या 84जी0/07 दोनों पति–पत्नी अनुज्ञप्ति धारक है।

खाद्य आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग का पत्रांक 4571 दिनांक 27.08.92 एवं विभागीय अधिसूचना जी.एस.आर–.1 दिनांक 20.02.07 के कंडिका 2.6(क) के निदेशानुसार संयुक्त परिवार में दो अनुज्ञप्ति धारियों का होना नियमानुकुल नहीं है। उपरोक्त के आलोक में श्री महेश प्रसाद केशरी ज0वि0प्र0वि0 राटन पंचायत प्रखंड, गोगरी के पत्नी श्रीमति मीरा देवी ज0वि0प्र0वि0 राटन पंचायत की अनुज्ञप्ति संख्या 84 जी0/07 को रद्द कर दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 28.04.14 को पारित आदेश में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के सुनवाई के समय निदेश दिया गया था कि इस आशय का शपथ पत्र दें कि "इस वाद में पूर्व में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है"। लेकिन अपीलार्थी या उनके अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई भी शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है।

अपीलार्थी लगातार अनुपस्थित चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के उपस्थिति हेतु दैनिक समाचार पत्र "दैनिक जागरण" में दिनांक 06.10.17 को सूचना प्रकाशित कराया गया। फिर भी अपीलार्थी उपस्थिति नहीं हुई। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से स्पष्ट होता है कि उन्हें इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अपीलार्थी अपने पति से कब से अलग रह रही है। इस संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई भी कागजात एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलार्थी एवं उनके पति को एक ही साथ वर्ष 2007 में ज0वि0प्र0वि का अनुज्ञप्ति निर्गत किया गया है, जो नियम विरूद्ध हैं। इसलिए अनुमंडल पदाधिकारी, गागरी द्वारा पारित आदेश सम्यक तथा सही है।

अपीलार्थी कब से अपने पति से अलग रह रही है। इस संबंध में कोई भी कागजात एवं साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। दिनांक 28.04.14 को पारित आदेश में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता को निदेश दिया गया था कि "इस आशय का शपथ पत्र दें कि इस वाद में पूर्व में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है"। लेकिन अपीलार्थी की ओर से इस आशय का कोई शपथ पत्र नहीं दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि पूर्व में

अपीलार्थी द्वारा दायर अपील वाद में अंतिम आदेश पारित किया जा चुका हो और असामाजिक तत्वों द्वारा अग्निकांड की घटना कारित किये जाने के कारण विधि शाखा में संधारित अभिलेख जलकर नष्ट हो जाने के कारण इसका लाभ उठाकर अभिलार्थी पुनः अपील दाखिल किया हो। अपीलार्थी के लगातार अनुपस्थिति से भी यह प्रमाणित होता है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है तथा इस संबंध में उन्हें और कुछ नहीं कहना है तथा कोई साक्ष्य एवं कागजात प्रस्तुत नहीं करना है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी के आदेश ज्ञापांक 1184/दिनांक 13.08.2008 द्वारा बिक्रेता के अनुज्ञप्ति रद्द सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा जाता है एवं अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दंडाधिकारी खगड़िया (बिहार)

समाहर्त्ता, खगड़िया

समाहर्त्ता, खगड़िया

ज्ञा० सं० 436/विधि दिनांक 13.11.2017

प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी गोगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश की प्रति को वेबसाइट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

16/11/17
प्रभारी पदाधिकारी
विधि शाखा, खगड़िया